भर्ती होंगे 58,189 पंचायत सहायक

दो अगस्त से लिए जाएंगे आवेदन 10 सितंबर तक पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार 58189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर की नियुक्ति करने जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक तैनात होंगे। 10वीं व 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिये यह भर्ती होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक एक साल की संविदा पर रखे जाएंगे। उन्हें छह हजार रुपये महीना मानदेय मिलेगा।

पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को इसमें नहीं रख पाएंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित होगी, उसी श्रेणी के सहायक का चयन किया जाएगा। यानी जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं, वहां अनुसूचित जाति का ही सहायक नियुक्त होगा। आवेदन पत्र सादे कागज पर ग्राम पंचायत या संबंधित विकास खंड या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। इसमें शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र लगाना होगा।

ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत के आधार पर पंचायत सहायक के चयन के लिए पात्रता सूची तैयार करेगी। सबसे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के पास भेजा जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर समिति नियुक्ति के लिए संस्तुति कर देगी। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नहीं रखता है तो डीएम की समिति ग्राम पंचायत से दूसरे अभ्यर्थी के चयन के लिए कहेगी।

पंचायत सहायक की संविदा एक वर्ष के लिए होगी, यदि सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार कर उसकी संविदा एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। वहीं, पंचायत सहायक का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्रवाई ग्राम पंचायत कर सकती है। एक माह की नोटिस पर इन्हें हटाया भी जा सकता है। इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम आयु एक जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी व ओबीसी के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित पंचायत सहायकों को सरकार दो माह का प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

06 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे एक साल होगी संविदा अवधि

40 वर्ष अधिकतम हो सकती है आवेदक की आयु

सौगात

- ग्राम पंचायत निवासी को वहीं मिलेगी नियुक्ति
- पंचायत चुनाव के आरक्षण आधार पर ही भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण
- 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट
- प्रधान अपने रिश्तेदारों को नहीं कर सकेंगे भर्ती
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति लगाएगी अंतिम मुहर

कोरोना से मृत्यु पर स्वजन को वरीयता

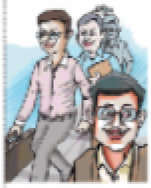

ग्राम पंचायत में यदि किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार से जैसे पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को सबसे पहले चयनित किया जाएगा। यदि आरक्षण श्रेणी की ग्राम पंचायत है और मृतकों के परिजन उस आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं, साथ ही वे इंटरमीडिएट पास हैं तो उनका चयन कर लिया जाएगा। सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोरोना से मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदन इस श्रेणी में आते हैं तो मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा।

समय-सारणी

- पंचायत सहायक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना-30 जुलाई से एक अगस्त तक
- आवेदन पत्र जमा करने की अवधि-दो अगस्त से 17 अगस्त तक
- जमा आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना-18 अगस्त से 23 अगस्त तक
- मेरिट लिस्ट तैयार करना-24 अगस्त से 31 अगस्त तक
- डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण-एक सितंबर से सात सितंबर तक
- ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना-आठ सितंबर से 10 सितंबर तक